संख्या /XIV–1/ 2007

प्रेषक,

डा.रणवीर सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक ,
सहकारी समितिया,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 11 अप्रैल, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 255/XXVII(1)/2007 दिनांक 26.3.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के पारित लेखानुदान (1 अप्रेल 2007 से 31 जुलाई 2007 तक) के क्रम में सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित वचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रू0 7,66,000.00 (रूपये सात लाख छियासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते है–

2425–सहकारिता आयोजनेत्तर
001–निदेशन तथा प्रशासन
05– सहकारी न्यायाधिकरण

	(धनराशि हजार रू0में)
01–वेतन	315
03–महंगाई भत्ता	167
06– अन्य भत्ते	39
09–विद्युत देय	17
10–जलकर/जलप्रभार	3
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	17
13– टेलीफोन पर व्यय	17
15– गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	17
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	17
48– महंगाई वेतन	157
योगः–	766

(रूपये सात लाख छियासठ हजार मात्र)

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिगाह आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05– सहकारी न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या 265/XIV–1/ 2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।